

मैनुअल-12

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

13.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराएँ ।

● कार्यक्रम/योजना का नाम	- राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम ।
● कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा	- दिनांक-14.11.04 से 30.06.06 (राज्य के 15 जिलों में लागू) ।
● कार्यक्रम का उद्देश्य	- मजदूरी के रूप में अनाज की आपूर्ति ।
● कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)	- जिला स्तर पर निर्धारित ।
● लाभार्थी की पात्रता	- वयस्क अकुशल मजदूर ।
● पूर्वपेक्षाएं	-
● अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया	- केन्द्र सरकार से प्राप्त खाद्यान्न की दुलाई/ हथालन/(वैट बाजार शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।)
● पात्रता निश्चित करने के लिये मानदंड	- वयस्क अकुशल मजदूर ।
● दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो)	- केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के लिए निःशुल्क खाद्यान्न का आवंटन ।
● अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया	- शत्रु प्रतिशत खाद्यान्न की परियोजना ।
● आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करें	- ग्राम पंचायत ।
● अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो)	- कुछ नहीं ।
● आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएँ कि आवेदन कर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे)	- निर्धारित नहीं ।
● संलग्नकों की सूची	- ग्रामीण विकास विभाग में उपलब्ध है ।
● संलग्नकों की प्रारूप	-
● प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहाँ सम्पर्क करें	- जिला पदाधिकारी ।

● उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि)	-	पंचायत/जिला/प्रखण्ड स्तर पर ।
● लाभार्थियों की सूची (निम्न दिये गये प्रारूप पर)	-	प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर उपलब्ध ।

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	बल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला/गाँव	मकान नं०